


**न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका।**  
**विविधवाद संख्या-277/2022 धारा 144द0प्र0स0**  
**रूधिर किस्पोटा वनाम सुनील किस्पोटा**  
**आदेश**

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date																
	<b>13/11/2023</b>	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>इस वाद को थाना प्रभारी भण्डरिया के डी0 आर नम्बर 2316 दिनांक 06.11.2022 के द्वारा यह प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाता सं0</th> <th>प्लॉट सं0</th> <th>रकबा ए0 में</th> <th>उ0</th> <th>द0</th> <th>पू0</th> <th>प0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जमौती</td> <td>नया-67</td> <td>नया-743</td> <td>0.19 <math>\frac{1}{3}</math></td> <td>रविता किस्पोटा का भूमि</td> <td>कृष्णा किस्पोटा का भूमि</td> <td>पक्की ग्रामीण सड़क</td> <td>ग्रामीण सड़क</td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रथम पक्षकार का कथन है कि वादगस्त भूमि उभय पक्ष की यह भूमि खतियानी रैयती जमीन है। जिसका खतियान उभय पक्षकार के पिता स्व0 मैसीदास उरांव के नामे दर्ज है। यह वादगस्त भूमि खतियानी होने के कारण उक्त जमीन में सभी भाईयों का हक हिस्सा का जमीन है। भाईयों के बीच पंचायत बाँटवारा नहीं हुआ है। विपक्षी संख्या 1. बेईमानी करते हुए अन्य व्यक्ति सत्यपाल मिंज पिता बना मिंज ग्राम जमौती थाना भण्डरिया जिला गढ़वा दिनांक 12.09.2022 को शपथ पत्र के माध्यम से विक्रीनामा कर दिया गया है। जबकि उक्त भूमि तीनों भाईयों का हिस्सा है। प्रथम का प्रार्थना है कि विपक्षीगण को जाने से रोकने एवं प्रथम पक्ष को हक हिस्सा दिलाने हेतु अनुरोध किया है। अंत में कहते हैं कि उक्त वाद में प्रथम पक्ष निषेधाज्ञा उठाया जाय तथा द्वितीय पक्ष पर निषेधाज्ञा रखा जाए।</p> <p>द्वितीय पक्ष का लिखित कारण पृच्छा का <del>अभिलेख</del> <sup>अवलोकन</sup> किया, उपरोक्त वाद ग्राम जमौती थाना भण्डरिया के नया खाता संख्या 67 नया प्लॉट 743 रकबा 0.19 <math>\frac{1}{3}</math> भूमि है। आवेदक रूधिर किस्पोटा एवं विपक्षी सुनील किस्पोटा एवं अनिल किस्पोटा आपस में सहोदर भाई है। विपक्षी सुनील किस्पोटा में अपने हिस्से में से मात्र 0.19 <math>\frac{1}{3}</math> भूमि बना मिंज विक्री कर हक दखल कब्जा सौंप दिए है। तथा भूमि का बांटवारा तीनों भाईयों के बीच नहीं हुआ है। आपसी बांटवारा के लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। बांटवारा हेतु सक्षम न्यायालय जा सकते है। अतः वाद की धारा 144द0प्र0स0 की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसलिए वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।</p>	ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा ए0 में	उ0	द0	पू0	प0	जमौती	नया-67	नया-743	0.19 $\frac{1}{3}$	रविता किस्पोटा का भूमि	कृष्णा किस्पोटा का भूमि	पक्की ग्रामीण सड़क	ग्रामीण सड़क	
ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा ए0 में	उ0	द0	पू0	प0												
जमौती	नया-67	नया-743	0.19 $\frac{1}{3}$	रविता किस्पोटा का भूमि	कृष्णा किस्पोटा का भूमि	पक्की ग्रामीण सड़क	ग्रामीण सड़क												
		 अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका।																	